

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन, जिला करौली

मु0नं0 76/2015

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बुनकर आर.ए.एस

तारीख रजू- 15.09.2015

गोपाल बनाम नवल राम बगै0

प्रार्थनापत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

26.09.2019 पत्रावली पेश हुई। सायल व सायल वकील उपस्थित नहीं आया। बार-बार आवाज दिलाने पर भी कोई उपस्थित नहीं आया है ना ही कोई आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सायल का प्रार्थनापत्र धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, खिलाफ गैरसायलान का अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर वाद तकगील दाखिल दफ्तर हो।


उप खण्ड अधिकारी
हिण्डौन